बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

श्री प्रवीण कुमार गौतम, निम्नवर्गीय लिपिक के माननीय मंत्री कोषांग में प्रतिनियुक्ति के समय अभिलेख/संचिका गायब होने के संबंध में उनसे पत्रांक 561 दिनांक 19.02.2024 तथा 2745 दिनांक 10.08.2024 से स्पष्टीकरण किया गया था। कोषांग में अभिलेख/संचिका गायब होने संबंधी मामले की जाँच कर रही समिति द्वारा भी श्री गौतम को संचिका गायब होने का जिम्मेवार मानते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। कालान्तर में दिनांक 27.08.2024 को सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के नाम से संबोधित बंद लिफाफा (वगैर प्रेषक के नाम/पता) प्राप्ति शाखा में तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, श्री मुमताज अहमद द्वारा प्राप्त किया गया। उक्त बंद लिफाफा में माननीय मंत्री कोषांग से गुम अभिलेख/संचिका भी थी। तत्समय श्री मुमताज अहमद द्वारा उक्त लिफाफा श्री प्रवीण कुमार गौतम एवं आदेशपाल से प्राप्ति कराये जाने की बात कही गई। इस कृत्य हेतु श्री गौतम के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर आदेश ज्ञापांक 146 दिनांक 10.01.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 146 दिनांक 10.01.2025 से विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 2773 दिनांक 20.05.2025 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन एवं श्री गौतम से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोप पत्र में Oral Wittness नहीं होने के कारण श्री प्रवीण कुमार गौतम के विरूद्ध Oral Wittness के साथ पूरक आरोप पत्र गठित करने का निदेश सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा Oral Wittness के साथ आरोप पत्र गठित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनसे पत्रांक 1680 दिनांक 02.03.2026 से लिखित अभिकथन की मांग की गई।

3. श्री प्रवीण कुमार गौतम, निम्नवर्गीय लिपिक से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में गठित आरोप पत्र में Oral Wittness नहीं होने के कारण पुनः I.O. Stage से आरोप की जांच की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई।

4. अतएव श्री प्रवीण कुमार गौतम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, **श्री ऐश्वर्य कश्यप, विशेष कार्य पदाधिकारी तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव** को नियुक्त किया जाता है।

5. श्री प्रवीण कुमार गौतम से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार गौतम हेतु)

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–14/24–....................../एम0, पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– **श्री ऐश्वर्य कश्यप, विशेष कार्य पदाधिकारी,–सह–संचालन पदाधिकारी/श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी**/श्री प्रवीण कुमार गौतम, निम्नवर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

Sanj/bach/karyalaya adesh

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–14/24–3392/एम0, पटना, दिनांक 25/05/26

प्रतिलिपिः– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव कोषांग/अराजपत्रित स्थापना शाखा (मु0)/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

25/5/26

सरकार के अपर सचिव

5

25.5.26

Sanj/bach/karyalaya adesh